

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 2/2010-11

दिनांक : 30.06.2010

आयोग के विज्ञापन संख्या-1/2009-10 दिनांक 20.07.2009 की पद क्रम संख्या 33 पर पुरालेखपाल (Archivist) राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग हेतु एक पद विज्ञापित किया गया था जिसके सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि:-

1. शासन द्वारा उक्त पद की संख्या में वृद्धि किये जाने के उपरान्त पदों की स्थिति अब निम्न प्रकार से हो गयी है :-

पद क्रम संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)							
		सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनु. जनजाति		पिछड़ा वर्ग		विशेष पिछड़ा वर्ग	
				सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
33	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

**विशेष नोट :-O.M.R. Application Form के कॉलम संख्या 11 में आवेदित पद की क्रम संख्या 33 अवश्य अंकित करें।** पद की क्रम संख्या गलत भरने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा O.M.R. Application Form में भरे गये पद की क्रम संख्या के विषय में प्रवेश दिया जायेगा और इस कॉलम को रिक्त छोड़ दिये जाने की स्थिति में उसकी O.M.R. Application Form रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

- इन पदों हेतु आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 31.08.2009 से बढ़ाकर अब दिनांक 30.07.10 कर दी गई है। अतः आवेदकों के आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुँचने की अन्तिम दिनांक 30.07.10 (30 जुलाई, 2010) को सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) पहुँच जाने चाहिये। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- इन पदों हेतु जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या- 01/2009-10 के तहत आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.01.11 को आंकी जावेगी।
- विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित O.M.R. Application Form ही भरना चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ-साथ उन्हें पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आयोग द्वारा स्वतः ही मान लिया जावेगा।
- पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- विज्ञापन सं.-1/2009-10 के विस्तृत विज्ञापन में उक्त पद हेतु अधिकतम आयु सीमा सम्बन्धी प्रावधान के बिन्दु सं. 8 के पश्चात् बिन्दु 9 पर यह प्रावधान पढ़ा जावे कि "राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी।"
- विज्ञापन की अन्य शर्तें विज्ञापन संख्या-1/2009-10 के अनुसार यथावत होगी।
- आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क:- पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित **O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन पत्र** का मूल्य मय परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा :- (क) सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 300/- (ख) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 200/- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु रुपये 100/-।

**नोट :-** (1) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करें। (2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के (क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

10. **आवेदन कैसे करें :-**

(1) आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के कॉउन्टर/स्वागतकक्ष से दिनांक: 08.07.2010 से आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन पत्र नकद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते हैं। इससे पूर्व आवेदक आयोग कार्यालय से सम्पर्क नहीं करें। (2) आवेदन-पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन-पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें। आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन-पत्र क्रय कर आवेदन करें। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के O.M.R.Application Form भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे O.M.R.Application Form को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा। (3) यदि आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से डाक के माध्यम से निर्धारित आवेदन-पत्र मंगवाना चाहता है तो ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व अपने वर्गानुसार मांग-पत्र मय भारतीय पोस्टल आर्डर्स (O.M.R.Application Form) निम्नानुसार भेजकर मंगवाये जा सकते हैं :- (क) सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 350/- (ख) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 250/- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु रुपये 150/-।

**आयोग की वेबसाइट:-**

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(हेमन्त शेष)  
सचिव

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

### विज्ञापन संख्या : 1 / 2009-10

विज्ञापन संख्या :- 1 / संयुक्त विज्ञापन / भर्ती / 2009-10

दिनांक : 20-07-2009

1. निम्नलिखित पदों के लिये निर्धारित **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** पर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। आवेदक को प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भेजना आवश्यक है:-

**विशेष नोट :- O.M.R. Application Form** के कॉलम संख्या 11 में आवेदित पद की क्रम संख्या अवश्य अंकित करें। पद की क्रम संख्या गलत भरने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा **O.M.R. Application Form** में भरे गये पद की क्रम संख्या के विषय में प्रवेश दिया जायेगा और इस कॉलम को रिक्त छोड़ दिये जाने की स्थिति में उसकी **O.M.R. Application Form** रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए विभिन्न विषयों में प्राध्यापक (Lecturer) (डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स)** के पदों की राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई हैं।

**पद क्रम संख्या 31 :- एक (1) प्राध्यापक-फार्माकोलोजी (Pharmacology)**

**पद क्रम संख्या 32 :- एक (1) प्राध्यापक-फार्माकोग्नोसी (Pharmacognosy)**

**शैक्षणिक योग्यताएं :- (पद क्रम संख्या 31 व 32 के लिए) :-**

- (1) एम. फार्मा. समुचित शाखा में

\*परन्तु यह कि उपरोक्त पदों की योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

या

\*\* बी. फार्मा. साथ तीन वर्ष का अध्यापन (Teaching) / वृत्तिक (Professional) अनुभव।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान।

**नोट :-\*\* वांछित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का अध्यापन/वृत्तिक अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है।**

**\*स्पष्टीकरण :-** यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे आवेदक **O.M.R. Application Form** के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन के कॉलम में दर्शाये **"App."** गोले की पूर्ति करें अन्यथा आवेदक का **O.M.R. Application Form** प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

**आयु :-**दिनांक 01-01-2010 को 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 47 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

**स्पष्टीकरण :** यह पद आयोग द्वारा वर्ष 2005 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2006 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

- 2 भूतपूर्व सेना कर्मचारियों तथा रिजर्विस्ट्स जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी पद से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है, के लिए 50 वर्ष होगी।
- 3 भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने के पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबर्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु पात्र था, के मामलों में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- 4 अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- 5 इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।

- 6 कैडेट इन्स्ट्रक्टर को उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- 7 रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

**नोट** :-उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 7 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

**वेतनमान** :- (पद क्रम संख्या 31 व 32 के लिए) :-रु. 8000-275-13500

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

**कार्य** :- अध्यापन एवं शोध एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित कार्य।

**परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं** : नियमानुसार।

**महंगाई भत्ता** : नियमानुसार।

**मुख्यालय** : जयपुर।

**पेंशन** :-दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

**पद क्रम संख्या 33** :-**एक (1) पुरालेखपाल (Archivist), राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग, बीकानेर** के पद की राजस्थान अभिलेखागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1968 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई है।

**शैक्षणिक योग्यतायें** :-

- (1) मध्यकालीन इतिहास और/अथवा आधुनिक इतिहास अथवा राजनीति विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में एम.ए., फारसी और/अथवा राजस्थानी का ज्ञान।

**अधिमान्य (Preferential)** :- अभिलेखागारीय विज्ञान में डिप्लोमा या दो वर्ष का इतिहास अध्यापन का अनुभव या दो वर्ष का अभिलेखागार का अनुभव या राजनीति शास्त्र में अध्यापन का अनुभव।

**एकान्तर (Alternate)** :- एम.ए. (इतिहास) साथ अभिलेखागारीय विज्ञान में डिप्लोमा।

**पद की योग्यता के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि :-**

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में तथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

**स्पष्टीकरण** :- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे आवेदक **O.M.R. Application Form** के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन के कॉलम में दर्शाये **"App."** गोले की पूर्ति करें अन्यथा आवेदक का **O.M.R. Application Form** प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

**आयु** :- दिनांक 01-01-2010 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 42 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

**स्पष्टीकरण** : यह पद आयोग द्वारा वर्ष 2005 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2006 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
3. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
5. कैंडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6. कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
8. सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

**नोट :-** उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 8 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "**Non Cumulative**" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

**वेतनमान :-** रनिंग पे-बैंड-2 (9300-34800), ग्रेड पे.सं. 13 (रु.4200/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।  
अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

**कार्य :-** अभिलेखों की वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्था आदि प्रदान करना तथा अपने हस्ताक्षरों से प्रतिलिपियाँ भी जारी करना

**परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार।

**महंगाई भत्ता :** नियमानुसार।

**मुख्यालय :** राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

**पेंशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

**पद क्रम संख्या 34 :-** ग्यारह (11) सहायक नगर नियोजक (**Assistant Town Planner**), नगर नियोजन विभाग के पदों की राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार से है :-

पद क्रम सं.	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)					
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति	
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
34	सहायक नगर नियोजक	11	5	2	2*	-	1*	-	1	-

**नोट :-**

- (1) \*उपरोक्त दर्शाये गये पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग के पद भी सम्मिलित हैं। राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग के पद जो कि दिनांक 10.10.02 के पूर्व के हैं, के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22-6-2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों से) भरा जावेगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जावेगा।
- (2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।  
**स्पष्टीकरण :-** किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
**पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (3) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

**शैक्षणिक योग्यताएँ :-**

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या सरकार द्वारा इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता। उन व्यक्तियों को अधिमानता (Preference) दी जायेगी, जो वास्तुकला में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से टाउन/सिटी/क्षेत्रीय आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या इसके समतुल्य अर्हता रखते हों।

**या**

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री, साथ ही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से टाउन/सिटी/क्षेत्रीय आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

**योग्यता के साथ लागू परन्तुक:-**

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में तथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।  
**स्पष्टीकरण:-** यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे आवेदक **O.M.R. Application Form** के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन के कॉलम में दर्शाये **"App."** गोले की पूर्ति करें अन्यथा आवेदक का **O.M.R. Application Form** प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

**आयु :-** दिनांक 01-01-2010 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-  
"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"  
**स्पष्टीकरण :** यह पद आयोग द्वारा वर्ष 2004 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2005 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
- (2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबटेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (7) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबटेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (8) रिलीज्ड इमर्जेंन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
- (9) राजस्थान पंचायत समितियों, जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई (सबटेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

**नोट:-**उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बैण्ड-3 (15600-39100), ग्रेड पे. सं.-15 (रु. 5400/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

**कार्य :-** मास्टर प्लान तथा नगरीय विकास की योजनाएं बनाने सम्बन्धी कार्य।

**परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार।

**महंगाई भत्ता :** नियमानुसार।

**मुख्यालय :** राजस्थान राज्य में कहीं भी।

**पेंशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

2. **आवेदन-पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक :-** आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक 31-08-2009 ( 31 अगस्त, 2009) सायं छ: बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**प्रेषण :** O.M.R. Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें। एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र भेजा जावे। एक लिफाफे में एक से अधिक O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्रों** को प्रथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

**आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें। आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन-पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन-पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात् पहुंचने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।**

3. **संवीक्षा परीक्षा का स्थान एवं योजना :-**

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

**संवीक्षा परीक्षा अजमेर (कोड सं.-1) में आयोजित कराये जाने की सम्भावना है। अतः आवेदक अजमेर जिले का कोड नम्बर OMR Application Form के कॉलम सं0 8 में भरे। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।**

**आयोग के विवेकानुसार इन पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) या वर्णनात्मक (Descriptive Type) की हो सकती है।**

4. **आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क :-**

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित **O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** का मूल्य मय परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा :-

(क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 300/- (परीक्षा शुल्क रूपये 200/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/- )

(ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 200/-(परीक्षा शुल्क रूपये 100/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/-)

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु रूपये 100/- (इन वर्गों के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/-लिया जा रहा है।)

**नोट :-**

(1) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

5. **आवेदन कैसे करें :-**

1. आवेदक **राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के कॉउन्टर/स्वागतकक्ष से दिनांक 24-07-2009 से** आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** नकद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते हैं।

2. **आवेदन-पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन-पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें।** आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन-पत्र क्रय कर आवेदन करें। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
3. यदि आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से डाक के माध्यम से निर्धारित आवेदन-पत्र मंगवाना चाहता है तो आवेदन-पत्र प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व अपने वर्गानुसार मांग पत्र मय भारतीय पोस्टल आर्डर्स निम्नानुसार भेजकर मंगवाये जा सकते हैं :-

- (क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 350/- (परीक्षा शुल्क रूपये 200/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- + विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/- + डाक व्यय रूपये 50/-)
- (ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 250/- (परीक्षा शुल्क रूपये 100/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- + विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/- + डाक व्यय रूपये 50/-)
- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको हेतु रूपये 150/- (इन वर्गों के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- + विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/- + डाक व्यय रूपये 50/- लिया जा रहा है।)

**नोट :- राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।**

6. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :-**सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

7. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-**

- 1 किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- 2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नि है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- 3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

- 4 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथासमय वांछनीय होगा।

- 5 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

8. **अनुचित साधनों की रोकथाम :-** परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित " Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination" अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।

9. **श्रुत-लेखक (Scribe) की सुविधा** :- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा **श्रुत-लेखक** की सुविधा देय होगी। श्रुत-लेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

10. **कृपया ध्यान दें :-**

- i. लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें।
- ii. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरकर भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों के सभी **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** प्रथम दृष्टया अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- iii. आवेदक श्रेणीवार तय किये गये आवेदन-पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन-पत्र खरीद कर ही आवेदन करें। गलत श्रेणी का आवेदन-पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- iv. आवेदक **O.M.R. Application Form** के  कॉलम व **O** गोले भरने हेतु **केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें।**
- v. आवेदक आयोग को आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स  में की गई प्रविष्टियाँ एवं नीचे भरे गये गोले **O** एक समान हैं। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोले में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। अधूरा भरा **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- vi. **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हस्तारयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- vii. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन, **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि **O.M.R. Application Form** में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढ़ी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थायी (Provisional) प्रवेश दिया जावेगा।
- viii. **O.M.R. Application Form** को भरने के निर्देश के बिन्दु सं. 6 में वर्णित जिलों के अंकित कोड संख्याओं के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रतापगढ़ को नवीन जिला घोषित किया गया है जिसका आयोग द्वारा फिलहाल कोड सं. 33 आवंटित किया गया है। अतः ऐसा आवेदक जो प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत आता है वह **O.M.R. Application Form** के कॉलम सं. 7 में जिले का कोड सं. 33 अंकित करें।
- ix. आयोग कार्यालय द्वारा **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा।
- x. विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- xi. **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** के साथ अपने समस्त प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें ताकि पात्रता आँकते समय कोई कठिनाई ना हो।

11. **प्रमाण पत्रों का सत्यापन** :- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को **प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक है** अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-

(अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

- (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/ नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।
- (द) राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र पर आवेदन करना होगा।
- (य) अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये।

**नोट :-** आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

**आयोग की वेबसाइट :-**

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**विशेष टिप्पणी :-**

1. आवेदक को आयोग के परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है।
2. इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएँ आवेदकों को विस्तृत विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ आवेदकों को सूचना पत्रिका नहीं दी जावेगी।
3. आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :  
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305 026.

(के.के. शर्मा)  
सचिव